THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT (DEPARTMENT OF EDUCATION AND DEPARTMENT OF CULTURE) (KUMARI SELJA): (a) to (f) The Government of India had appointed a Committee to examine implementation of Recommendations of Gujral Committee for Promotion of Urdu under the Chairmanship of Shri Ali Sardar Jafri. This Committee submitted its report to the Government on 18th September, 1990. This report was laid on the Table of Rajya Sabha on 25.7.91.

The recommendations contained in the report are under the consideration of the Government.

**Repair works of the house of late Dr. Rajendra Prasad**

912. SHRI YASHWANT SINHA: SHRI DAYANAND SAHAY:

Will the Minister of HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT be pleased to state:

(a) whether the repair and maintenance work of the paternal house of Late Dr. Rajendra Prasad has been taken up;

(b) whether the owners are extend. ing their full cooperation in the master;

(c) if so, the reasons for the delay in starting the work; and

(d) what steps are proposed to be taken to improve the surroundings of the house and the village?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT (DEPARTMENT OF EDUCATION AND DEPARTMENT OF CULTURE) (KUMARI SELJA) : (a) The work has been initiated by starting preliminary survey and necessary allocation of funds have been made for the purpose.

*(b)* Yes, Sir.

(c) The delay In taking up the work is due to completion of formalities required under the Ancient Monuments and Archaeological Sites and Remains Act, 1958.

(d) The matter concerns the State Government.

**शिक्षा को व्यवसाय से जोड़ा जाना**

913. **श्री राम जेठमलानी :**
**श्री कैलाश नारायण सारंग :**

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गत दशक के आरम्भ में शिक्षा को व्यवसाय से जोड़ने के लिए उपयुक्त सुझाव देने हेतु एक समिति नियुक्त की गई थी ;

(ख) यदि हां, तो उक्त समिति द्वारा दिये गये सुझावों का ब्यौरा क्या है तथा उनके कार्यान्वयन के लिये क्या कदम उठाये गये हैं ;

(ग) क्या यह सच है कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा अनुदानों में वृद्धि पर रोक लगाये जाने के कारण विभिन्न केन्द्रीय विश्वविद्यालयों द्वारा चलाये जा रहे व्यावसायिक पाठ्यक्रम तथा उनके द्वारा नये पाठ्यक्रम शुरू करने की प्रक्रिया प्रभावित हुई है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार इस बाधा को दूर करने के लिए क्या कार्यवाही करने का विचार रखती है ;

**मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग और संस्कृति विभाग) में उपमंत्री (कुमारी शैलजा) :** (क) और (ख) जी, हां । फरवरी, 1985 में व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए विभिन्न स्तरों पर व्यावसायिकरण की अवधारणा निर्धारित करने के लिए, अपनाए जाने वाले पाठ्यक्रमों की प्रकृति तथा व्यावसायिक कार्यक्रम चलाने वाली विभिन्न एजेंसियों के बीच अपेक्षित संबंधों के बारे में सिफारिशें करने के लिए व्यावसायिक शिक्षा पर एक राष्ट्रीय कार्यकारी ग्रुप का गठन किया गया था। ग्रुप ने अगस्त, 1985 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी थी और व्यावसायिक शिक्षा-औपचारिक और गैर-

औपचारिक दोनों शिक्षा–के विभिन्न पहलुओं पर, उच्च माध्यमिक और तृतीय स्तरों पर व्यावसायिकरण, प्रबंध व्यवस्था, कार्यान्वयन की नीतियों, सरकारी और गैर-सरकारी संगठनों की भूमिका पर अपनी सिफारिशें करते हुए उदार केन्द्रीय वित्तीय सहायता की सिफारिश की ।

ग्रुप की सिफारिशों के आधार पर फरवरी, 1988 में माध्यमिक शिक्षा के व्यावसायिकरण की केन्द्रीय प्रायोजित योजना शुरू की गई, जिसके अंतर्गत +2 स्तर पर व्यावसायिक पाठ्यक्रमों को शुरू करने के लिए राज्यों/केन्द्रशासित प्रदेशों को काफी वित्तीय सहायता दी जाती है।

(ग) और (घ) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग और सम्बद्ध मंत्रालयों/विभागों की संयुक्त वित्तीय सहायता के माध्यम से केन्द्रीय विश्वविद्यालयों में स्नातकोत्तर विभागों में बायो-टेक्नोलोजी, कम्प्यूटर साइंस, इलेक्ट्रोनिक्स आदि जैसे व्यावसायिक पाठ्यक्रम चलाए जा रहे हैं। अभी तक किसी भी केन्द्रीय विश्वविद्यालय में संसाधनों के अभाव में इन पाठ्यक्रमों को रोका नहीं गया है ।

**जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय**

914. **श्री कैलाश नारायण सारंग :**

**डा. जिनेन्द्र कुमार जैन :**

क्या **मानव संसाधन विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 10 जून, 1992 को "टाइम्स आफ इंडिया" में "नाट बाई कमेटी अलोन" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या यह सच है कि जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय में पिछले कुछ महीनों से उत्पन्न हुए कटुविवाद को सुलझाने के लिए सरकार द्वारा एक समिति गठित की गई थी ;

(ग) यदि हां, तो उक्त समिति के सदस्यों की संख्या उनके नाम तथा उनके चयन के मानदंड क्या-क्या थे ;

(घ) क्या उक्त समिति ने अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है; और

(ङ) यदि हां, तो प्रतिवेदन का ब्यौरा क्या है, और यदि नहीं, तो इसे कब तक प्रस्तुत कर दिए जाने की संभावना है ।

**मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग और संस्कृति विभाग) में उप मंत्री (कुमारी शैलजा)** : (क) जी, हां ।

(ख) और (ग) : जामिया मिलिया इस्लामिया में परिस्थिति का तथ्यपरक मूल्यांकन करने के उद्देश्य से तथा इस मामले में सरकार को सलाह देने के लिए, विश्वविद्यालयों के प्राधिकारियों सहित, सभी सम्बन्धितों के साथ परामर्श करके, इस विभाग द्वारा, 8–6–1992 को निम्नलिखित पांच प्रतिष्ठान व्यक्तियों का एक दल गठित किया गया था :—

1. न्यायमूर्ति एम0एम0 इस्माइल,
   भूतपूर्व मुख्य-न्यायधीश,
   उच्च न्यायालय,
   मद्रास ।

2. प्रो0 ए0 एम0 खुसरो,
   भूतपूर्व कुलपति,
   अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय,
   और सम्पादक,
   फाइनेन्शियल एक्सप्रैस, ।

3. श्री असगर अली इंजीनियर,
   निदेशक,
   इस्लामिक अध्ययन संस्थान,
   बम्बई ।

4. श्री सैयद हमीद,
   भूतपूर्व कुलपति,
   अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय।

5. श्री जफर जंग
   सदस्य
   वक्फ बोर्ड, दिल्ली ।

(घ) और (ङ) इस दल ने दिनांक 24 जून, 1992 को अपनी पहली बैठक नई दिल्ली में आयोजित की थी। इस दल की शीघ्र ही पुनः बैठक होने वाली है।